23 NOV 2021	चित्तौड़गढ़ पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर। अप्रार्थी कैलाश पिता नारायण जाति हरिजन निवासी मालियाखेडी स्वयं हाजिर। हाजिर अप्रार्थी द्वारा मुआवजा राशि का चैक स्वीकार करने से मना कर चैक लेना अस्वीकार किया। हमने हाजिर अप्रार्थी को सुना। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा की गई बहस पत्रावली को एक तरफा सुना	

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	गया। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। वकील प्रार्थी द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र का चिंतन-मनन किया। न्यायालय हाजा द्वारा विपक्षी की खातेदारी आराजीयात के खनन प्रयोजनार्थ मुआवजा राशि का निर्धारण किया जा चुका है एवं प्रार्थी कम्पनी न्यायालय निर्णयानुसार मुआवजा राशि का भुगतान विपक्षी को किये जाने हेतु तैयार एवं तत्पर है किन्तु विपक्षी द्वारा मुआवजा राशि के चैक प्राप्त नहीं किये गये एवं अप्रार्थी न्यायालय हाजा में हाजिर है एवं मुआवजा राशि का चैक प्राप्त नहीं करना चाहते है ऐसी स्थिति में प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् मुआवजा राशि के सिविल डिपोजिट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है एवं प्रकरण माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश चित्तौड़गढ़ को मुआवजा राशि के सिविल डिपोजिट किये जाने प्रेषित किये जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् सिविल डिपोजिट को स्वीकार किया जाता है एवं न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 058/2020 (रे.वि.) अनवानी मैसर्स वण्डर सीमेंट लिमिटेड बनाम कैलाश अन्तर्गत धारा 89 (04) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 में निर्णय दिनांक 02.02.2021 से आराजीयात जैरबहस के खनन प्रयोजनार्थ निर्धारित मुआवजा राशि रूपये 5791000/- अक्षरे सत्तावन लाख इकरानवे हजार रूपये मात्र विपक्षी द्वारा प्राप्त नहीं करने से मुआवजा राशि माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश चित्तौड़गढ़ को मुआवजा राशि के सिविल डिपोजिट किये जाने हेतु प्रकरण प्रेषित किये जाने का आदेश दिया जाता है। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार निम्बाहेडा से पत्रांक/राजस्व/2021/1008 दिनांक 20.10.2021 से प्राप्त चैक जो कि विपक्षी कैलाश पिता नारायण के नाम पर जारी किया गया है को प्रार्थी कम्पनी को लौटाया जावें एवं निर्धारित मुआवजा राशि का सिविल डिपोटिज हेतु नवीन चैक जिला एवं सत्र न्यायाधीश चित्तौड़गढ़ के नाम से प्रस्तुत किये जाने हेतु लिखा जावें। पत्रावली बाद पालना के प्रार्थी कम्पनी द्वारा नवीन चैक प्रस्तुत करने पर पुनः पेश हों। (तारा चन्द मीणा) जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ 23 NOV 2021	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official